

राजस्थान सरकार  
नगरीय विकास विभाग

- 4 APR 2019

क्रमांक प.३(७७)नविवि / ३ / २००९पार्ट-IV

जयपुर, दिनांक :- ०५ अप्रैल २०१९

आदेश

केन्द्र सरकार द्वारा जारी सॉलिड वेरट मैनेजमेंट रूल्स-2016 के प्रावधानों के तहत ठोस अपशिष्ट के पृथक्करण, भण्डारण, विक्रेन्द्रीकरण एवं प्ररांतकरण की सुनिश्चितता किये जाने हेतु टाउनशिप पॉलिसी-2010 के निम्न प्रावधानों को राक्षम रूप से अनुमोदन उपरान्त संशोधित / प्रतिस्थापित / अतिरिक्त जोड़ा जाता है:-


टाउनशिप पॉलिसी-2010(10 हैक्टेयर से अधिक क्षेत्रफल की योजना हेतु)

"7.02{f} **Solid Waste Management** The developer must submit a detailed plan for the disposal of Solid Waste Management and ensure that a separate space for segregation, storage, decentralised processing of Solid Waste is demarcated in Township / Mini Township for Group Housing or Commercial, Institutional or any other non - residential complex. The Developer must ensure its implementation till the Scheme is handed over to the ULB / Resident Welfare Body or any other entity."

टाउनशिप पॉलिसी-2010 (10 हैक्टेयर से कम क्षेत्रफल की योजना हेतु)

"5.10 **Solid Waste Management** The developer must submit a detailed plan for the disposal of Solid Waste Management and ensure that a separate space for segregation, storage, decentralised processing of Solid Waste is demarcated in Township / Mini Township for Group Housing or Commercial, Institutional or any other non - residential complex. The Developer must ensure its implementation till the Scheme is handed over to the ULB / Resident Welfare Body or any other entity."

उक्त आदेश संधाम रूप से अनुमोदित है।

आज्ञा से,  
  
(कन्हैयालाल स्वामी)  
संयुक्त शासन सचिव-प्रथम

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यदाही हेतु प्रेषित है :-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
4. निदेशक, रथानीय निकाय विभाग, राजस्थान, जयपुर को उनके अधीन समस्त नगरीय निकायों को निर्देशित किये जाने हेतु।
5. संयुक्त शासन सचिव प्रथम/द्वितीय/तृतीय, नगरीय विकास विभाग, जयपुर।
6. सचिव, जयपुर/जोधपुर/अजमेर विकास प्राधिकरण, जयपुर/जोधपुर/अजमेर।
7. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर।
8. अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक, नगरीय विकास विभाग, जयपुर।
9. सचिव, नगर विकास न्यास समरत।
10. वरिष्ठ उप शासन सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु निर्देशित किया जाता है।
11. रक्षित पत्रावली।

५८५ -  
संयुक्त शासन सचिव—प्रथम